



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 2007/फाल्गुन 15, 1928

No. 232]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 2007/PHALGUNA 15, 1928

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2007

का.आ. 325(अ).—बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करती है तथा इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, श्रीमती शान्ता सिन्हा, 3ए, एन्ट्रेंचमेंट रोड, मारदपल्ली वेस्ट, सिकन्दराबाद-500 026 को आयोग की अध्यक्ष नियुक्त करती है। श्रीमती शान्ता सिन्हा का कार्यकाल 5 मार्च, 2007 से तीन वर्ष की अवधि तक, अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, होगा।

[फा. सं. 3-5/2006-बा.क.]

लवलीन कक्कड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2007

S.O. 325(E).—In pursuance of Section 3 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the Central Government hereby constitutes the National Commission for Protection of Child Rights and nominates Smt. Shanta Sinha, 3A, Entrenchment Road, Marredpally West, Secunderabad-500 026 as the Chairperson of the said Commission in accordance with Section 4 of the Act. Smt. Shanta Sinha shall hold office for a period of three years from 5th March, 2007 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 3-5/2006-CW]

LOVELEEN KACKER, Jt. Secy.